आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

29.05.2020

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–70 / 2019

रीना देवी –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–काण्ड्रा, थाना नं0–324, खाता नं0–142, प्लॉट नं0–233, रकवा–03 डी0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–32 के 4 लेनों के चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि गया है कि अन्तर्गत मौजा–काण्ड्रा, थाना नं0–324, खाता नं0–142, प्लॉट नं0–233, रकवा–03 डी0 जमीन भू–अर्जन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त भूमि में मकान अवस्थित है। उक्त मकान एवं भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–32 से एकदम सटे हुए है एवं मकान आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों रूप में व्यवहार किया जाता है। अर्जित भूमि एवं मकान का 27,32,046.00 रू0 मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। जिसका एवार्ड नं0–10 है। उक्त मकान का नापी करने के समय तीन कमरा का मूल्यांकन करना छोड़ दिया गया है एवं जिन कमरों, चीरदिवारी, कुआँ, चापाकल इत्यादि का मूल्यांकन किया गया है, वह भी मौजूद संरचना से कम का एवं बाजार दर से कम दर पर किया गया है। आवेदक द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का बाजार दर पर पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही मकान तोड़ के कम में हुई क्षति का भी मुआवजा राशि भुगतान करने का दावा किया गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा मुआवजा राशि सही आकलन कर भुगतान किया गया है। फलस्वरूप वाद को अस्वीकृत / निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का वास्तविकता का जॉच करते हुए नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद को निस्तार किया जाता है।

29/5/20

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

29/5/20

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner